

1/17013/2023

Speed post /त्रिव डाक**Notice/कारण बताओ नोटिस**

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान व्युरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रीयक का कार्यालय
माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: **MCDR-MiFLOLST/3/2022-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक:

प्रेषित: खान एजेंट,
निम्बाहेडा चुनापत्थर खान,
मेसर्से जे. के सिमेन्ट वर्क्स,
पोस्ट: कैलाश नगर, तहसिल: निम्बाहेडा,
ज़िला: चित्तोडगढ़- 312617
राजस्थान.
ईमेल: (mines.nbh@jkcement.com, manish.toshniwal@jkcement.com)

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ ज़िले में स्थित आपकी निम्बाहेडा चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 403.1875 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

माहोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 17/08/2023 and 18/08/2023 by undersign in presence of Sri Lal Singh Pokharna, Mine Manager of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	<p>On examination of the Annual return for the year 2022-23 following discrepancy have been observed:</p> <p>(1) The information of sub-grade mineral exists in the lease area has been furnished under part V, para 3. The same information of sub-grade mineral is also furnished under part VI, para 3(ii). Resulting duplicacy in reporting of the subgrade mineral quantity exists in the lease area.</p> <p>(2) Part I, Para 12: An area of 57.04 hectare is mentioned under heading “work done under progressive mine closure plan during the year”. Whereas an area of 4.54 hectare has been rehabilitated during the year as per the progressive mine closure plan report attached with the annual return.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

।/17013/2023

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
05. क्रपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)
वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर